

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014—अग्रहायण 4, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्र. 32-18-2014-म-31-793.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तारीख 25 नवम्बर, 2014 उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम की धारा 1 से 7 के उपबंध संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त होंगे.

No. 32-18-2014-म-31-793.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me krishkon ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhinyam, 2013 (No. 23 of 2013), the State Government, hereby, appoints 25th November, 2014 as the date on which the provisions of section 1 to 7 of the said Act shall come into force in Whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड, सचिव.